राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2636/2019

नरेन्द्र सिंह

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी. रेंज–द्वितीय, जयपुर।
3. कमांडेंट, 7वीं बटालियन, आर.ए.सी. भरतपुर।
4. कमांडेंट, 8वीं बटालियन, आर.ए.सी.(आई.आर.) गाजीपुर, दिल्ली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री किशोरी लाल सैनी
(एएसपी, 7वीं बटालियन,भरतपुर)

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 4.12.2002 के द्वारा नियम–1958 के नियम–16 के तहत सेवा से बरखास्त किया गया था। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सख्यां 1007/2004 प्रस्तुत की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.02.2012 पारित कर निम्न प्रकार से निर्देश दिये थे :–

> "This writ petition is allowed. Impugned order of dismissal dated 04-12-2002, so also, order dated 07-04-2003 are hereby quashed and set aside with further direction to the respondents to reinstate the petition in service with all consequential benefits except back-wages because during this period the petitioner did not work.
>
> There shall, however, be no order as to costs."

3. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ दिया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी को वर्ष 2011 व 2012 का काल्पनिक वार्षिक वेतन

वृद्धि का लाभ नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का वर्ष 2012 में पुनः सेवा में लिये जाने के उपरान्त वर्ष 2003 से 2010 तक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ आदेश दिनांक 17.04.2010 के द्वारा दिया गया, परन्तु वर्ष 2011 व 2012 की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 1007/2004 में आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने के उपरान्त समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 01.02.2011 से 05.02.2012 काय काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय की पालना में देय नहीं है। हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल किये जाने से समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार अपीलार्थी को सम्पूर्ण अवधि का काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी को वर्ष 2003 से 2010 तक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, परन्तु वर्ष 2011 व 2012 में देय काल्पनिक वेतन वृद्धि रोके जाने का कोई उचित कारण नहीं है।

4. परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वर्ष 2011 व 2012 में देय वार्षिक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को प्रदान करे। इस आदेश की पालना 2 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)